विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

प्र0क्र0............/ 16

R.5119-पी-16

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

1. रामनगेश लोनिया तनय रामगरीब लोनिया उम्र–55 वर्ष
2. मु0 इंद्रवती पत्नी स्व0 कुसमा लोनिया, उम्र 60 वर्ष।
3. कामता तनय कुसुमा लोनिया उम्र 42 वर्ष
4. कमलेश्वर तनय कुसमा लोनिया 27 वर्ष

सभी निवासी ग्राम दुआरी तह0 गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

........निगरानीकर्तागण

बनाम

रामसुंदर तनय सीताराम लोनिया 95 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम दुआरी तह0 गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

.......गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी न्यायालय श्रीमान् तह0 महोदय तह0 गुढ़ जिला रीवा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्र0–140अ–70 / 2014–15 रामनगेश व अन्य बनाम रामसुंदर में पारित आदेश दिनांक 18.02.16 के विरूद्ध।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं:–

1. यह कि निगरानीकर्तागण व गैरनिगरानीकर्ता के मध्य भूमि नं0–1590 रकवा 0.31 एकड़, 1591 रकवा 0.31ए0 1592 रकवा 0.75ए0, 2006 रकवा 0.20ए0, 1607 रकवा 0.05ए0, 1608 रकवा 0.05ए0, 1610 रकवा 0.15ए0, 2020 रकवा 0.13ए0 कुल किता 8 कुल रकवा 2.00एकड़ के मध्य सर्किल दुआरी की आराजी नं0– कुल रकवा 2.00ए0 के संदर्भ में माननीय षष्टम् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला रीवा म.प्र. के

रामनगेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0/5119–दो/2016 जिला–रीवा

रामनरेश लोनिया/रामसुन्दर लोनिया

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सतानन्द पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 14/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	